न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.– ...51...... / 2024

लक्ष्मी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी ओजरिया तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थीनी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर जिला चूरू।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक 14/2/24

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा ओजरिया तहसील तारानगर के खसरा सं. 142 तादादी 3.3003 हेक्ट., खसरा 143 तादादी 7.5996 हैक्ट., खसरा सं. 144 तादादी 3.3003 हैक्ट. कुल तादादी 14.2002 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थीनी का नाम लिछमां पुत्री भगवानाराम अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीनी का नाम लक्ष्मी पुत्री भगवानाराम सही हैं। प्रार्थीनी के आधार कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीनी का नाम लक्ष्मी पुत्री भगवानाराम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीनी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अव प्रार्थीनी जमावन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहती है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीनी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा ओजरिया तहसील तारानगर के खसरा सं. 142 तादादी 3.3003 हेक्ट., खसरा 143 तादादी 7.5996 हैक्ट., खसरा सं. 144 तादादी 3.3003 हैक्ट. कुल तादादी 14.2002 हैक्ट. में प्रार्थीनी का नाम लक्ष्मी पुत्री भगवानाराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.नि. बायं के अनुसार प्रार्थी का नाम लक्ष्मी पुत्री भगवानाराम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहती है। अब प्रार्थीनी अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीनी लिछमां पुत्री भगवानाराम के स्थान पर लक्ष्मी पुत्री भगवानाराम करवाना चाहाती है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी का नाम लिछमां पुत्री भगवानाराम दर्ज है। अतः प्रार्थीनी लिछमां पुत्री भगवानाराम के स्थान पर लक्ष्मी पुत्री भगवानाराम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि भू.अ.नि. बायं की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया कृषि भूमि रोही मौजा ओजरिया तहसील तारानगर के खसरा सं. 142 तादादी 3.3003 हेक्ट., खसरा 143 तादादी 7.5996 हैक्ट., खसरा सं. 144 तादादी 3.3003 हैक्ट. कुल तादादी 14.2002 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि **लिछमां** पुत्री भगवानाराम Delete कर इसके स्थान पर **लक्ष्मी** पुत्री भगवानाराम दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान कियें जातें है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक ....14/2/24.................. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)